राइटर्स एण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन

एसोसिएशन का नाम–**राइटर्स एण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन**

एसोसिएशन कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

प्रधान सम्पर्क कार्यालय– द्वितीय तल, 1430–1432, सीताराम बाजार, (नियर चावड़ी बाजार, मेट्रो स्टेशन) दिल्ली–110006

पंजी0 कार्यालय–6/108ए, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

राइटर्स एण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्य

1. लेखन एवं पत्रकारिता जगत से जुड़े समस्त भारतीय भाषाओं के रचना कर्मियों को राष्ट्रीय एकीकरण,विभिन्न भाषा साहित्य के विकास की दृष्टि से एक मंच पर लाकर दायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना।
2. लेखकों– पत्रकारों एवं लेखन व पत्रकरिता जगत से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना।
3. लेखकों एवं पत्रकारों के सहायतार्थ एक कल्याण कोष का गठन
4. समाज में समता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता एवं विश्व बन्धुत्व की भावनाओं को विकसित करना।
5. लेखकों व पत्रकारों के लिए शोषणमुक्त वातावरण तैयार करना।
6. समाज में बौद्धिक परिष्कार के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगितायें, संगोष्ठियां व पत्रकारिता सेमिनार/कार्यशालायें आयोजित करना तथा मूल जन समस्याओं के प्रति लेखको एवं पत्रकारों में संवेदना जागृत करना।
7. लोक सहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयास करना।
8. अन्याय के खिलाफ लेखकों एवं पत्रकारों में संवेदना जागृत करना।
9. समय–समय पर लेखकों, साहित्यकारो, पत्रकारों व समाज में कार्य करने वाले अन्य लोगों को सम्मानित करना।
10. बदलते दौर में लेखन और पत्रकरिता की भूमिका को परिभाषित करना।
11. समाज में छोटे–छोटे साफ सुथरे नेतृत्वों को विकसित, प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना।
12. जगह–जगह पर वाचनालय/पुस्तकालयों की स्थापना।

एसोसिएशन की सदस्यता एवं शर्ते–

1. इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते है जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होचुकी है। तथा एसोसिएशन के नियमो व उद्येश्यो में आस्था रखते हो।
2. वे सभी व्यक्ति जो लेखन व पत्रकारिता से सक्रियतापूर्ण जूड़े हुये है।
3. वे सभी व्यक्ति जो पागल या दिवालिया न हो।

सदस्यों के वर्ग–

1. सामान्य सदस्य—लेखन व पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन के विकास हेतु 150 रूपये .वार्षिक सदस्यता शुल्क उपलब्ध करा कर एसोसिएशन का सामान्य सदस्य बन सकता है।

2. विशिष्ट सदस्य— रचनात्मक कार्यो में समर्पित एसोसिएशन की निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग संस्था को 2500 रूपये या उससे अधिक का योगदान कर विशिष्ट सदस्यता प्रमाण पत्र हासिल कर सकतें हैं ।
3. अनुदाता सदस्य— एसोसिएशन के उद्धेश्यों से प्रभावित होकर अनुदान के रूप में तीन हजार रूपया (3000) या इससे अधिक की धन राशि अथवा उतने मूल्य की चल अचल सम्पत्ति योगदान करने वाले व्यक्ति अनुदाता सदस्य दो सदस्यो के प्रस्ताव पर नामित किये जा सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति को एसोसिएशन के मंच पर सम्मानित किया जायेगा।।

सदस्यता की समाप्ति—

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. एसोसिएशन के प्रति हानिकारक कार्य करने पर ।
4. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
5. त्यागपत्र देने पर।
6. बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहने पर।

एसोसिएशन के पदाधिकारी—

अध्यक्ष—एक

उपाध्यक्ष—

महासचिव—एक

संयुक्त सचिव—

संगठन सचिव—

कोषाध्यक्ष—

सहित न्यूनतम् 15 सदस्यों की कोर कमेटी गठित की जायेगी।

सामान्य बैठकें—

1. समस्त पदाधिकरियों सहित कोर कमेटी की माह में किसी भी निश्चित तारीख को सामान्य बैठक आहुत की जायेगी। जिसमें संगठन की आगामी रणनीति लेखको, पत्रकारों के कल्याण हेतु विभिन्न क्रिया कलापों पर विचार विमर्श सहित संगठन के विस्तार पर चर्चा की जायेगी।
2. विशेष बैठक— यह बैठक प्रत्येक तीसरे माह पदाधिकारियों सहित कोर कमेटी व सामान्य एवं विशिष्ट सदस्यों को सात दिन पूर्व की सूचना पर आहूत की जा सकती है। इस बैठक में पिछले तीन महीने के कार्यो की समीक्षा व आगामी तीन महीनों की भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया जायेगा।

पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य—

1. अध्यक्ष
    1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
    2. बैठकों हेतु महासचिव के परामर्श से तिथि समय व स्थान का निर्धारण करना।
    3. एसोसिएशन के सफल संचालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करना व उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

महासचिव–

1. एसोसियेशन की ओर पत्र व्यवहार करना।
2. सदस्यों एवं पदाधिकारियों की बैठकों की सुचना देना।
3. पिछली कार्यवाही को बैठक में सुनाना व लिपिबद्ध करना
4. लेखों एवं विलेखों में हस्ताक्षर करना।
5. एसोसियेशन के निर्णयों को क्रियान्वित करना एवं बैठकों समारोहों में भाग लेना अथवा संचालन करना।
6. बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।

संयुक्त सचिव–

महासचिव के अनुपस्थिति में कोटिक्रमानुसार महासचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों प्रयोग करना और उसके कार्यो में सहयोग करना।

संगठन सचिव–

1. यह प्रयास करना कि एसोसिएशन की इकाई प्रत्येक जगह हो जाये।
2. एसोसिएशन की सांगठनिक सुदृढ़ता के लिए प्रयास करना।

संस्था के अभिलेख–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. एजेन्डा रजिस्टर

अन्य ऐसे समस्त विवरण प्रावधान जो एसोसियेशन के उद्देश्यों के पूर्ती एवं संचालन मे सहयोगी एवं उपयोगी और आवश्यक होंगे।

- ❖ एसोसियेशन समस्त भाषाओं के रचनाकारों एवं पत्रकारों को एक जुट करने हेतु तमाम प्रान्तों एवं खंडों /प्रखंडों मंडल जिला एवं नगर स्तर पर अपनी इकाईयां गठित करेगाा।
- ❖ एसोसियेशन अपने उद्दश्यों की पूर्ती हेतु अपनी समितियों, उपसमितियों तथा प्रकोष्ठों को गठन करेगी।
- ❖ एसोसियेशन वरिष्ठ लेखकों–पत्रकारों को विभिन्न स्तरों पर संरक्षक मण्डल तथा सलाहकार मंडल में शामिल करेगी।

राइटर्स एण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपेक्षायें–

1. कमेटी के गठन के पश्चात कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता व महासचिव के संचालन में माह के प्रत्येक 30 तारीख को कार्यकारणी सदस्यों व पदाधिकारियों की एक विचार गोष्ठी के तर्ज पर नियमित बैठक आयोजित की जाय।
2. उक्त बैठक में संगठन के विस्तार, लेखकों , पत्रकारों की समस्याओं पर सम्यक विचार हो तथा वर्तमान क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनैतिक सन्दर्भो की समीक्षा की जाय व किसी एक ज्वलन्त समस्या पर आम राय बनाकर सभी एक साथ अपनी कलम उठायें।
3. क्षेत्र के पत्रकारो व लेखकों का लिखित तौर पर ब्यौरा एकत्र किया जाय साथ ही दयनीय आर्थिक हालातों से जुझ रहें लेखको पत्रकारों को चिन्हित किया जाय भले ही वे संगठन के सदस्य न हो अथवा किसी दूसरे संगठन से जुड़े हो।
4. दयनीय आर्थिक हालातों से जूझ रहे लेखको–पत्रकारों के सहायतार्थ एक कल्याण कोष के गठन का प्रयास किया जाय जिससे आवश्यकतानुसार ऐसे लेखकों पत्रकारों को कमेटी की सलाह पर सहयोग प्रदान किया जा सके।
5. क्षेत्रीय स्तर पर पठन–पाठन का माहौल बनाये रखने के लिए जन सहयोग अथवा प्रशासकीय सहयोग से पुस्तकालय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाय।
6. सार्वजनिक स्थानो बस स्टेण्डों अथवा रेलवे प्लेटफार्मो एवं अन्य जगहों पर जहॉ लोग फालतू टाइम पास करते हों, ऐसी जगहों को चिन्हित कर प्रशासनिक व स्थानीय सहयोग से एक ऐसे निःशुल्क वाचनालय स्टैण्ड की स्थपना की जाय जहॉ क्षेत्रीय अखबार व पत्रिकाये उपलब्ध हो इन वाचनालयों स्टैण्डों पर संगठन से जुड़े संपादकगण अपने पत्र पत्रिकाओं की प्रतियां प्रचार के दृष्टिकोण से निःशुल्क मे रखें।
7. क्षेत्रीय स्तर पर नई पीढ़ी के बौद्धिक परिष्कार हेतु प्रत्येक सितम्बर से नवम्बर माह के बीच अथवा किसी भी उपयुक्त समय पर स्कूल प्रबंधन के सहयोग से लेखन प्रतियोगितायें आयोजित की जाय तदुपरान्त मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाय।
8. वर्ष में एक बार लेखन व पत्रकारिता सेमिनार और कार्यशाला आयोजित किये जाय जिसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अनुभवों से कनिष्ठो को लाभ पहॅुचायें। सेमिनार के अन्त में सम्बन्धित क्षेत्र के 10 लेखकों व पत्रकारों को विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित किया जाय। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को भी सम्मान पत्र प्रदान किया जाय।
9. अन्य वे समस्त कार्य जो लेखन व पत्रकारिता की समृद्धि हेतु आवश्यक एवं उपयोगी हों।

××××××××××